सार्वजनिक सूचना

परित्यक्त बोर वेल एवं नलकूपों में छोटे बच्चों को गिरने से होने वाले जानलेवा दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाए गए कदम

2009 की सिविल रिट याचिका संख्या 36 : भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की गई याचिका 'परित्यक्त बोर वेल एवं नलकूपों में छोटे बच्चों को गिरने से होने वाले जानलेवा दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उपाय बनाम भारत सरकार एवं अन्य'

इस सबंधं में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 06/08/2010 को जारी आदेश के तहत् निम्नलिखित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं :-

दिनांक 2009 का सिविल रिट याचिका सं.36 के संबंध में दिनांक 06/08/2010 को माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गए संशोधित दिशानिर्देश

1. भूमि/परिसरों के मालिकों को बोर वेल या नलकूप बनाने के पहले अपने संबंधित क्षेत्र के प्राधिकारों जिला समाहर्ता/जिलाधीश/गॉव पंचायत के सरपंच/ अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी या भूमिगत जल विभाग/पब्लिक स्वास्थ्य विभाग/नगर निगम के संबंधित अधिकारी से लिखित तौर पर 15 दिन पहले अनुमति अवश्य लेनी होगी ।

2. सभी ड्रिलिंग एजेंसियां जैसे कि सरकारी/अर्द्ध-सरकारी/निजी आदि जो भी लागू हो, जिला प्रशासन/सांविधिक प्राधिकरण में पंजीकरण अनिवार्य रूप से होनी चाहिए ।

3. कुआं के निर्माण के समय उसके नजदीक निम्नलिखित विवरण के साथ साईनबोर्ड लगी होनी चाहिए,

(क) कुआं के निर्माण/कुआं की मरम्मत(रिहेबिलिटेशन) के वक्त ड्रिलिंग एजेंसी का पूरा पता ।
(ख) कुआं के मालिक/काम करने वाले एजेंसी का पूरा पता ।

4. कुआं के निर्माण के दौरान उसके चारों ओर कंटीली तार या किसी अन्य उपयुक्त बेरियर लगी होनी चाहिए ।
5. कुआं के निर्माण के दौरान उसके चारो तरफ सिमेंट/कंक्रीट प्लेटफार्म का निर्माण 0.50x0.50x0.60 मीटर ग्राउंड स्तर से लगभग 0.30 मीटर ऊपर एवं ग्राउंड लेवल से 0.30 मीटर नीचे होना चाहिए ।

6. कुएं का ढक्कन वेल्डिंग स्टील प्लेट या मजबूत होनी चाहिए एवं ढक्कन को पाइप के साथ मजबूत सिटकिनी एवं नट्स की रस्सियों से अच्छी तरह से बांधना होगा ।

7. यदि पंप की मरम्मत की जानी हो, तो नलकूप को खूला न रखें ।

8. काम पूरा होने के बाद गढ़ढों एवं नालों को मिट्टी से ढक दिया जाए ।

9. परित्यक्त बोर वेलों को मिट्टी, बालु, बोल्डर्स, पत्थर या ड्रिल कटिंगों से भर देना चाहिए ।

10. उपर्युक्त दिशानिर्देशों की अनुपालन की जांच करने के लिए जिला समाहर्ता को अधिकार दिया जाएगा एवं बोर वेल/बोल होल्स/नलकूपों की स्थिति की उचित मॉनिटरिंग हेतु एवं इसकी देखरेख के लिए संबंधित राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए ।

11. किसी विशेष स्थान पर ड्रिलिंग आपरेशन पूरा किये जान के बाद भूमि को उसके पूर्व की स्थिति में बहाल कर दी जाए ।

12.जिला जिला/ब्लॉक/गॉव के स्तर के आधार बोर वेल/नलकूप की स्थिति जैसे :- वर्तमान में उपयोग किय जा रहे कुओं की सं., खुले हुए परित्यक्त बोर वेल/नलकूपों की सं., अच्छी तरह से जमीन के स्तर तक भरे गए परित्यक्त बोर वेल/नलकूपों की सं. एवं उन खुले हुए परित्यक्त बोर वेल/नलकूपों की संख्या जिनको अभी भरा जाना है । ग्रामीण क्षेत्रों में उपर्युक्त कार्य गॉव सरपंच एवं कृषि विभाग के कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए । शहरी क्षेत्रों में यह कार्य भूमिगत जल विभाग/पब्लिक स्वास्थ्य विभाग/नगर निगम आदि विभागों के कनिष्ठ अभियंता या कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाना चाहिए ।

13. यदि बोर वेल/नलकूपों को परित्यक्त या खुला या अनुप्रयुक्त छोड़ दिया जाता है एवं तो ऐसी स्थिति में भूमिगत जल विभाग/पब्लिक स्वास्थ्य विभाग/नगर निगम के विभागों से या प्राइवेट ठेकेदारों से प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा एवं परित्यक्त बोर वेल एवं नलकूपों को जमीन स्तर तक भरना होगा । संबंधित एजेंसियों/विभाग के कार्रकारिणी द्वारा तुरंत निरीक्षण किया जाना चाहिए । ऐसे सभी सूचनाओं की आकंड़ों को जिला समाहर्ता या राज्य के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनुरक्षण की जानी चाहिए ।

उपर्युक्त भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु आम लोगों एवं खासकर बच्चों की बचाव एवं सुरक्षा के लिए दीव समाहर्ता दीव के सभी निवासियों से अपील करते हैं कि वे इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें एवं समय-समय पर प्रशासन द्वारा जारी अन्य ऐसे निर्देशों का भी पालन करें । ताकि पूर्वसावधानी एवं रोकथाम संबंधी उपायों को अपनाकर खुले हुए या परित्यक्त कुओं में बच्चों को गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं या होनी वाली किसी भी घटनाओं को रोका जा सके ।

आपके सहयोग से प्रशासन को किसी भी दुर्घटना से बचने में मदद मिलेगी एवं बहुत-सी जिन्दगी को बचाया जा सकता है ।

(विनोद पी.कावले)
समाहर्ता एवं जिलाधीश, दीव के
आदेशानुसार